न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पिठासीन अधिकारी–सुमन शर्मा, आरएएस

राजस्व प्रार्थना सं. 175 /2022

1. भागीरथ पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बैरासर तहसील सुजानगढ हाल तहसील बीदासर जिला चूरू।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोविन्द सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. श्री कुम्भसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. मलसिंह पुत्र स्व. गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. मु. भंवरी पत्नी जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
5. जयसिंह पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
6. नारायणसिंह पुत्र जीवराजसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
7. चन्द्रसिह पुत्र जीवराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बैरासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
8. श्रीमान उप पंजीयक तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि. व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति– 1. श्री हरीशचन्द्र पारीक एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री अमरसिंह राठौड़ एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से
3. राजपेरोकार उपस्थित

आदेश

दिनांकः– 16-5-2024

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा सं. 415 रकबा 8 बीघा 15 बिश्वा संयुक्त खातेदारी मे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। वादगत कृषि भूमि अरसा जायद 60–65 वर्षो से वादी प्रार्थी व उसके पूर्वज पूर्ण वल्द सगरा मेघवाल के समय से कब्जा काश्त मे है जिसकी गिरदावरिया पूर्ण वल्द सगरा व प्रार्थी के पिता के नाम से रही तथा वादगत भूमि मे एक झोपडा मे बारहमासी ढाणी प्रार्थी की बनी हुई है व वादगत भूमि को प्रार्थी काश्त करता है ओर प्रार्थी खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है वादगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा मुखालपान परिपक्व हो चूका है यानी एडवर्स पजेशन प्रार्थी का है। दिनांक 09/06/2022 ई. को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि वादगत भूमि को रिक्त कर कब्जा हमे सोंप दो अन्यथा हम ऐन केन प्रकारेण आपको बेदखल कर देंगे व किसी अन्य व्यक्मि को विकय हस्तांतरण कर देगे

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

तथा अप्रार्थीगण ने इंकार कर दिया। प्रार्थी की बारहमासी ढाणी वादगत भूमि मे होने के कारण प्रार्थी का एडवर्स पजेशन कायम हो चूका है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि को विक्रय हस्तांतरण करने मे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरतिय क्षति होगी ओर भंयकर असुविधा होगी। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण के जबाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को इंकार किया है तथा प्रार्थी का राजस्व वाद सं. 06/2008 अनुवानी भागीरथ बनाम गोविन्दसिंह आदि दिनांक 26/08/2019 को अदम पैरवी अदम हाजरी मे न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चूका था तथा राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 06/2008 अनुवानी भागीरथ बनाम गोविन्दसिंह आदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 27/01/2020 को खारिज किया जा चूका था प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र कानूनी दृष्टि से विधी सम्मत नही है। वादगत खेत खसरा सं. 415 रकबा 08 बीघा 15 बिश्वा वाके रोही बैरासर की भूमि अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी मे संयुक्त खातेदारी मे नही है ओर ना ही वादगत भूमि अरसा पूर्व 60–65 वर्षो से प्रार्थी व उसके पूर्वजो के कब्जा काश्त मे रही है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण रिकॉर्ड के खातेदारान व उनके वारिसान को पक्षकार नही रखा है समस्त खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनन कोई सुनवाई नही की जा सकती तथा दावा मे अंकित गौण प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नही है वादगत भूमि कभी भी प्रार्थी या उसके पिता पूर्णाराम की खुद काश्त के रूप मे कब्जा काश्त मे नही रही ना ही वादगत खेत मे कोई बारहमासी ढाणी है। वादगत भूमि जागीर वक्त मे भोगता भोपालसिंह के ठिकाना की थी तथा प्रथम सर्वे के दिन स्व. भोपालसिंह खुद काश्त अपने कारकुनो से करवाते थे यानि नोकर हाली काश्त करते थे जो स्वयं भोपालसिंह की देखरेख मे काश्त करते थे वादगत भूमि भोपालसिंह का निजी खेत था। वादी प्रार्थी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद विधि विरूद्व पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। वादी प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया विधि विरूद्व व खिलाफ कानून है। सम्वत 2013 मे पूर्णाराम को अपनी शादि विवाह व घर खर्च बाबत रू. की आवश्यकता होने के कारण भोपालसिंह से लेन देन रखने के कारण स्व. पूर्णाराम नोकर के रूप मे रहा ओर स्व. भोपालसिंह का अति विश्वास पात्र व्यक्ति था इसलिए कागजी कार्यो से हल्का पटवारी गिरदावर आदि के साथ गिरदावरिया करवाने व रकम जमा करवाने के लिए विश्वास के आधार पर स्व. भोपालसिंह भेजते थे। स्व. पूर्णाराम के मन मे बईमानी होने के कारण खसरा गिरदावरियो मे स्व. भोपालसिंह भोगता के वादगत खेत उनके खदु काश्त का था कि गिरदावरियो मे बाला बाला अपना नाम अंकन करवाने लगा व लगान की रसीदे अपने पास रखने लगा स्व. भोपालसिंह को जब उसकी चालाकी का ज्ञान हुआ तो सम्वत 2020 से पहले उससे निकाल दिया व प्रार्थी पिता पूर्णाराम ने किस तारीख माह व सन् को कब्जा काश्त प्रारम्भ की जब तक निशचित तारीख माह व सन् अंकित नही किया है तो इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का वादगत भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा था। प्रार्थी दिनांक 09/06/2022 को अप्रार्थीगण से नही मिला ओर नाही किसी दिवस को मिला प्रार्थी ने मिथ्या तथ्य अंकित किये है काश्तकारी अधिनियम लागू होन के दिन अर्थात 15 अक्टूबर 1955 लागू हुआ उस दिन वादगत भूमि पर काबिज व मालिक पूर्ववत स्व. भोपालसिंह ही खातेदार थे। प्रार्थी को वादगत भूमि के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रथम दृष्टया कोई कानूनी अधिकार नही है। एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थी कानूनन मालिक नही बन सकता है नाही खातेदारी प्राप्त कर सकता है। उक्त वाद व टीआई प्रार्थना पत्र खारिज होने के पश्चात जरिये मुख्तयार नामा आम दिनांक 16/03/2020 को सह खातेदारान ने अप्रार्थी सं. 01 गोविन्दसिंह खातेदार के पक्ष मे वादगत भूमि को विक्रय हस्तांतरण हक त्याग बख्शिश आदि के अधिकार दे दिये थे अप्रार्थी सं. 01 गोविन्दसिंह

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

ने वादगत भूमि को अपने सह खातेदार अप्रार्थी सं. 02 कुम्भसिंह के पक्ष मे जरिये पंजीकृत हकत्याग दिनांक 14/08/2020 को हक त्याग निष्पादित करवा दिया ओर उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 02 कुम्भसिंह अकेले के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो गई वादगत भूमि का एक मात्र खातेदार अप्रार्थी सं. 02 कुम्भसिंह रहा व कुम्भसिंह को रूपयो की आवश्यकता होने पर वादगत खेत खसरा सं. 415 तादादी 2.2113 है0 वाके रोही बैरासर की अपनी भूमि मेसे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि तादादी 1.9602 है0 पूर्वी तरफ की श्रीमती नरेन्द्र कंवर पत्नी नानूसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी साण्डवा तहसील बीदासर के पक्ष मे व शेष भूमि तादादी 0.2529 है0 भूमि फूसाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी बैरासर के पक्ष मे पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय मूल्य राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र दिनांक 13/06/2022 को विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया था ओर कब्जा दखल केतागण को संभला दिया था वादगत भूमि पर विक्रय के दिन से कब्जा काश्त केतागण का चला आ रहा है। प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान को अंधेरे मे रखकर वास्तविकता को छुपाकर विधि विरूद्व तरिके से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया है जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी को वादगत भूमि के विक्रय के दिन से पूर्ण जानकारी थी परन्तु प्रार्थी ने जानबुझकर केतागण नरेन्द्र कंवर व फुसाराम को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के विरूद्व साबित नही है। ओर नाही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने की लोकस स्टेण्डाई है सुविधा के संतुलन व अपूर्तिय क्षति के सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष मे नही है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया की वादगत कृषि भूमि प्रार्थी के नाना जगू उर्फ श्यामा के कब्जा काश्त मे थी तथा उसके पश्चात प्रार्थी के पिता पूर्णाराम की व प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि है राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के पूर्वजो का नाम काश्तकार के रूप मे दर्ज हुआ है तथा गिरदावरियो मे नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के लिए घोषणा का वाद पेश किया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को बार बार कथन करते हुए कहां की वादगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा दावा के लम्बित रहते हुए विचारण के दौरान वादगत भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय हस्तांतरण किया गया है जबकि ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही था वादगत भूमि का न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया था उसमे प्रार्थी का कब्जा काश्त बताया ओर एक झोपड़ा में बारहमासी ढाणी होना बताया है। सम्वत 2035 के बाद गिरदावरिया नही बनी। राजस्थान सरकार के आदेश से खातेदार के नाम से गिरदावरिया बननी शुरू हो गई इसलिए अप्रार्थीगण के नाम से गिरदावरिया वर्तमान मे है तथा यह भी कथन किया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश किया जा सकता है ओर अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने आर.आर.डी. 2016 जगदीश आदि बनाम प्रहलाद आदि पेज 513 न्यायायिक दृष्टांत पेश किया।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने मौखिक बहस के दौरान जबाब प्रार्थना पत्र मे अकित तथ्य को दौहराते हुए कथन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि विरूद्व होने कारण खारिज योग्य है। प्रार्थी का मूल वाद व मूल वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान द्वारा खारिज किया जा चूका था उक्त वाद व वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के बाद अप्रार्थीगण ने अर्थात संयुक्त खातेदारान ने अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष मे जरिये मुख्तयार आम वादगत भूमि को विक्रय हस्तांतरण हक त्याग बख्शिश आदि के अधिकार दे दिये थे ओर अप्रार्थी सं. 01 गोविन्दसिंह ने

लगातार.....4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

सह खातेदार अप्रार्थी सं. 02 कुम्भसिंह के पक्ष मे जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 14/08/2020 को हक त्याग निष्पादित करवा दिया अर्थात कुम्भसिंह के पक्ष मे हक त्याग कर दिया था ओर राजस्व रिकॉर्ड मे खेत खसरा सं. 415 वाके राही बैरासर की भूमि का एक मात्र मालिक व खातेदार अप्रार्थी सं. 02 कुम्भसिंह था ओर कुम्भसिंह ने अपनी भूमि मेसे भूमि तादादी 2.2113 है0 नरेन्द्र कंवर पत्नी नानूसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी साण्डवा को व 0.2529 है0 फुसाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी बैरासर को दिनांक 13/06/2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रो के विक्रय कर दी थी अर्थात विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया था ओर कब्जा दखल उनको संभला दिया था ओर विक्रय के दिन से आज तक कब्जा काश्त दखल केतागण नरेन्द्र कंवर व फुसाराम का चला आ रहा है। प्रार्थी की उपस्थिति मे विक्रय पत्र उप पंजीयक अधिकारी द्वारा तस्दीक किया जा चूका था तथा प्रार्थी ने उक्त क्रेतागण को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए पक्षकार बनया है। वादगत भूमि के सम्बन्ध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट मौका कमिश्नर द्वारा तैयार कर जो पेश की गई है वो एक तरफा मौका निरीक्षण किया गया था उक्त रिर्पोट पर न तो अप्रार्थी गण के हस्ताक्षर है ओर नाही वादगत खेत के पडौसियान के हस्ताक्षर है ओर नाही किसी स्वतंत्र व्यक्तियो के हस्ताक्षर है ओर नाही मौका कमिश्नर ने अप्रार्थीगण को सूचित किया। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के कहने से रिर्पोट बिना मौका देखे तैयार की गई है जो संदेहास्पद है कानून मे उक्त रिर्पोट का कोई महत्व नही है। गिरदावरिया राईट आफ रिकॉर्ड नही हो सकती अप्रार्थीगण के पूर्वज व राजस्थान काश्तकारी अधि. लागू हुआ उससे पहले से लेकर लगातार वादगत भूमि के काबिज काश्तकार व खातेदार थे उनके स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार खातेदार रहे जो विक्रय के दिन तक खातेदार रहे है। वादगत भूमि के विक्रय के रोज न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का वाद विवाद दावा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश लम्बित नही था अप्रार्थी सं. 02 कुम्भसिंह को वादगत भूमि विक्रय करने का कानूनी दृष्टि से पूर्ण अधिकार था प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नही है ओर नाही सुविधा का संतुलन व अपूर्ति क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने आर.आर.डी. 2014 गोपाराम आदि बनाम हरीमाराम आदि पेज 463 व आर.आर.डी. 2015 नथूलाल आदि बनाम तुलसीराम आदि पेज 210 न्यायायिक दृष्टांत पेश किया।

हमने पत्रावली का सुक्ष्मता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया वादगत कृषि भूमि खेत खसरा सं. 415 तादादी 08 बीघा 15 बिश्वा (2.2131 है0) वाके रोही बैरासर तहसील बीदासर की भूमि काश्तकारी अधि. लागू होने से पहले से स्व. भोपालसिंह के खुद काश्त कब्जा खातेदारी अधिकार की थी जो लगातार लम्बे समय तक भोपालसिंह के खातेदारी मे रही थी उसके पश्चात अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी मे रही है तथा वादगत भूमि बाबत जो मौका निरीक्षण किया गया है उक्त मौका निरीक्षण रिर्पोट एक तरफा है ओर उस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नही है ओर नाही किसी स्वतन्त्र मौतबिर व्यक्ति के हस्ताक्षर है ओर नाही वादगत भूमि के आस पास के पडौसियान के हस्ताक्षर है। और नाही अप्रार्थीगण को सूचित किया गया था उक्त मौका रिर्पोट के अवलोकन से संदेहास्पद साबित होती है प्रार्थी ने वर्तमान क्रेतागण नरेन्द्र कंवर व फुसाराम को बावजूद जानकारी के जानबुझकर पक्षकार नही बनाया है। विक्रय पत्र दिनांक 13/06/2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विक्रय पत्र प्रार्थी भागीरथ की उपस्थिति मे उप पंजीयक अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया था इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की उपस्थिति मे तथाकथित विक्रय पत्र तस्दीक किये गये थे जिनका प्रार्थी को ज्ञान था प्रार्थी के पूर्वजो का गिरदावरियो मे

लगातार............5

न्यायालय उपखण्ड ... सत्यमेव जयते ... बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

नाम जरूर दर्ज हुआ है परन्तु गिरदावरी राईट आफ रिकॉर्ड नही हो सकती है इस वादगत भूमि बाबत पूर्व मे भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 06/2008 अनुवानी भागीरथ बनाम गोविन्दसिंह आदि मे पारित आदेश दिनांक 03/07/2008 के विरूद्व अपर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपिल प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपिल सं. 29/2008 अनुवानी गोविन्दसिह आदि बनाम भागीरथ आदि में न्यायालय के निर्णय दिनांक 03/07/2008 को अपिल स्वीकार फरमाते हुए दिनांक 16/08/2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त कर दिया था। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्य रूप से दावे लम्बित हरते हुए (लीसपेन्डेन्सी ऑफ सुट) विकय पत्र अप्रार्थी द्वारा किया गया का कथन किया जो वाद की आदेशिका दिनांक 26/08/2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट होतो है कि वादी प्रार्थी का वाद दिनांक 26/08/2019 को खारिज हो चूका था तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 27/01/2020 को खारिज हो चूका था अप्रार्थी कुम्भसिंह राजस्व रिकॉर्ड मे एक मात्र खातेदार था ओर उसने अपनी कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकरो की भूमि को दिनांक 13/06/2022 को विकय पत्र केतागण के पक्ष मे पंजीकृत करवाया जो दावा के लम्बित रहते हुए अर्थात (लीसपेन्डेन्सी ऑफ सुट) किसी भी सुरत मे नही हो सकता है। प्रार्थी को केतागण नरेन्द्र कंवर व फुसाराम को किये गये विकय पत्रो की जानकारी के बावजूद प्रार्थी ने उन्हे दावे मे व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पक्षकार नही बनाया है अप्रार्थी सं. 02 एक मात्र वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार था ओर उसके द्वारा वादगत भूमि को विकय कर दिये जाने से अब अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किये जााने का कोई ओचित्य नही है ओर उनके द्वारा वादगत भूमि को विकय हस्तांतरण करने की कोई संभावना नही रहती है पत्रावली पर प्रकट हालाता व प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया उक्त न्यायायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत की रोशनी मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर चस्पा होता है ओर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया साबित नही है ओर नाही प्रार्थी को किसी प्रकार की आपूर्ति क्षति हो रही है ओर नाही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 23/06/2022 को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16-05-2024 को सरै इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)